संख्या-253 / II-2010-03(27)/2008

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई अनुभाग **देहरादून : दिनांक 19 जुलाई, 2010**

विषय : सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 166/मुअवि/बजट/बी-1 योजना दिनांक 22.01.2010, एवं पत्रसंख्या 4828/मुअवि/बजट/बी-1 योजना दिनांक 19.12.2009, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक-1 अनुसार सर्वेक्षण एवं अनुसंधान से सम्बन्धित 02 योजनाओं, लागत रू0 20.53 लाख (रू0 बीस लाख तिरपन हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ-साथ रू0 20.53 लाख (रू0 बीस लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. उक्त कार्यों के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में की गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
2. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. आगणनों में उल्लिखित दरों का दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित कराया जाय। जो दरें शिडूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति भी नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त की जाय।
4. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होंगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
6. एकमुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
7. कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर एवं सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात् स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
9. निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पाये जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया गया।
10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4701-मध्यम सिंचाई पर पंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 005-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (किशाऊ बांध सम्मिलित करते हुए) [illegible]

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 162/XXVII(2)/2010 दिनांक 30 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
सयुंक्त सचिव

संख्या 253 /II–2010–03(27)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्री, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
3 वित्त अनुभाग–2।
4 आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी। कुमायूं मण्डल नैनीताल।
5 समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, [redacted] उत्तराखण्ड।
6 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7 निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8 अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या-253 / II–2010–03(27)2008 : दिनांक 19 ~~मार्च~~ जुलाई, 2010 का संलग्नक–1

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना की लागत
1	जनपद पौड़ी के विकास क्षेत्र थैलीसैंण में ग्राम मरोड़ा से कैन्यूर तक नहर निर्माण के सर्वेक्षण कार्यो का प्राक्कलन (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–129 / 2006 के अन्तर्गत)	2.00
2	जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूंगी बैराज का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य का प्राक्कलन।	18.53
	योग	20.53

(रू0 बीस लाख तिरपन हजार मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव